वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
उद्योग भवन
नई दिल्ली

निर्यातक प्रश्नावली

(सब्सिडीरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच)

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
ई–मेलः moc_antidump@nic.in

निर्यातक प्रश्नावली

(सब्सिडीरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच)

इस निदेशालय ने सब्सिडीरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांचों में अपेक्षित सूचना मंगाने के लिए निर्यातक प्रश्नावली को सरल और कारगर बनाने की जरूरत महसूस की है । इस प्रकाशन में जांचाधीन उत्पाद के निर्यातकों से सूचना मंगाने वाली प्रश्नावली के लिए प्रपत्र और दिशानिर्देश दिए गए हैं ।

निर्यातकों से अनुरोध है कि वे प्रपत्र के प्रत्येक भाग में मांगी गई सूचना को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विहित समय सीमा के भीतर पूर्ण रूप से और सही–सही प्रस्तुत करें ।

निदेशालय के अधिकारी प्रश्नावली पूरा करने के लिए अपेक्षित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उपलब्ध रहेंगे ।

प्रस्तावना

1. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9, 9ख और 9 ग तथा उसके अंतर्गत बनाई गई सीमाशुल्क टैरिफ (सब्सिडी वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995, (समय–समय यथासंशोधित और जिसे आगे सब्सिडीरोधी नियमावली/सीवीडी नियमावली कहा गया है) सब्सिडीरोधी जांच करने और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क लगाने के लिए विधिक आधार हैं । ये कानून सब्सिडीरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार पर आधारित हैं जो गैट 1994 के अनुच्छेद– VI तथा xvi के अनुपालन में हैं ।

2. एक बार प्रथम दृष्टया सब्सिडीशुदा आयात, क्षति और कारणात्मक संबंध सिद्ध हो जाने पर, निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यातक देश की सरकार के साथ परामर्श करने के बाद जांच शुरू करते हैं । प्रारंभिक और/या अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किए जाने से पहले मामले की जांच करनी होती है । जांच प्रक्रिया में ज्ञात हितबद्ध' पक्षकारों मुख्यतः निर्यातक देश की सरकार, निर्यातकों/उत्पादको; आयातकों और याचिकाकर्ताओं से एक प्रश्नावली के जरिए विभिन्न मापदंडों संबंधी सूचना लेना और यदि आवश्यक हो तो उनकी जांच करना शामिल है ।

3. यह प्रश्नावली आपकी कंपनी को उस सीमा, यदि कोई हो, तक जांच करने के लिए आवश्यक सूचना प्रदान करने में सहायता हेतु तैयार की गई है जिस सीमा तक आपके देश के मूल के जांचाधीन उत्पाद के आयातों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है और भारत में समान वस्तु का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसका खतरा उत्पन्न हो रहा है ।

4. प्रश्नावली का यथासंभव सही और पूर्ण उत्तर देना आपके सर्वोत्तम हित में है । यह महत्वपूर्ण है कि प्रश्नावली के उत्तर में किए गए किसी दावे के लिए आप लागू कानूनों, विनियमनों आदि की प्रतियों जैसे समर्थनकारी साक्ष्य उपलब्ध कराएं । उत्तर न दिए जाने पर निर्णय सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना पर आधारित हो सकता है । अतः यह आवश्यक समझा जाता है कि आपकी कंपनी को उत्तर देने का अवसर दिया जाए ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके ।

5. प्रश्नावली ''रिक्त स्थान भरने'' जैसी ही नहीं है और इसमें प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करने की व्यवस्था है । सूचना बिल्कुल प्रश्नावली के अनुसार ही होनी चाहिए और अधिमानतः प्रश्नावली के क्रम में ही होनी चाहिए और इसमें प्रदत्त घोषणा संलग्न की जानी चाहिए। जहां सांख्यिकीय या लेखांकन आंकड़े अपेक्षित हों, वहां आंकड़ों के प्रस्तुतीकरण के लिए परिशिष्ट दिए गए हैं ।

6. यदि आप इस जांच में शामिल उत्पाद के उत्पादक नहीं हैं तो आप इस प्रश्नावली के उत्तर में इसके आपसे संबंधित होने की सीमा तक सूचना प्रदान कर सकते हैं और वास्तविक उत्पादक (कों) के नाम और पता (पते) बता सकते हैं । इसी के साथ आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप संबंधित उत्पादक (उत्पादकों) को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा

मांगी गई सूचना विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दें । आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप भारत को, तीसरे देशों को निर्यात और घरेलू बिक्रियों के लिए उत्पाद की खरीद हेतु निबंधनों तथा शर्तों तथा उत्पादक (उत्पादकों) के साथ किए गए पत्राचार की प्रतियां प्रस्तुत करें । आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप प्रत्येक उत्पादक से उत्पाद की खरीद की कुल मात्रा, मूल्य और इकाई कीमत तथा खरीद के पश्चात और भिन्न–भिन्न बाजारों में पोतलदान तक आपके द्वारा वहन किए गए खर्च भी प्रस्तुत करें । यदि आपने खरीद के बाद परन्तु किसी बाजार को पोतलदान से पहले उत्पाद को प्रसंस्कृत किया है तो उस पर हुए खर्च सहित तत्संबंधी ब्यौरे संलग्न करें ।

7. यदि आपके देश में कच्ची सामग्री, श्रम (मजदूरी), सुविधाओं आदि की कीमतें बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होती हैं तो कीमतों के निर्धारण में अपनाई जाने वाली पद्धति, प्रयुक्त लागत निर्धारण प्रणाली और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडी के तंत्र को स्पष्ट करें ।

8. सूचना देने वाले हितबद्ध पक्षकार को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई समस्त सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से ''गोपनीय'' या ''अगोपनीय'' लिखा हो । किसी चिन्ह के बिना प्रदत्त सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अगोपनीय सूचना के निरीक्षण की अनुमति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को देने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसे वर्तमान जांच के दौरान आपके द्वारा संबोधित किए जाने वाले समस्त पत्राचार के लिए नोट किया जाए ।

9. गोपनीय सूचना के साथ अगोपनीय रूपांतरण या ऐसी सूचना का अगोपनीय सारांश होना चाहिए जिसके लिए गोपनीय व्यवहार का अनुरोध किया गया है अथवा यदि यह दावा किया जाता है कि सूचना का ऐसा कोई सारांश तैयार नहीं किया जा सकता तो इस आशय के कारणों का विवरण दिया जाना चाहिए कि ऐसा सारांश संभव क्यों नहीं है । अगोपनीय रूपांतरण में मूल सूचना की पुनरावृत्ति की जानी चाहिए परन्तु गोपनीय मानी गई सूचना लोप या सूचीबद्ध/सारांशीकृत किया जाना चाहिए ।

10. निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं यदि सूचना प्रस्तुत करने वाली कंपनी संतोषजनक रूपांतरण या सारांश इस आशय के संतोषजनक कारण बताने में विफल रहती है कि ऐसा सारांश क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा सकता ।

11. सभी अगोपनीय सूचनाओं की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में रखी जाएगी जो जांच में भाग लेने वाले किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध करने पर निरीक्षण हेतु खुली रहेगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपोक्षित है कि जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उनके मामले के प्रस्तुतीकरण हेतु संगत और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समस्त अगोपनीय सूचना उपलब्ध कराने के लिए उचित अवसर प्रदान किया गया है ।

12. सूचना देने वाले किसी पक्षकार को यह भी अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि दी गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर उद्यम का नाम लिखा/उल्लिखित हो ।

13. इस प्रकार प्रदत्त गोपनीय और अगोपनीय अंश को अनन्य रूप से अभिलिखित/सूचीबद्ध किया जाएगा ।

14. कृपया परिशिष्ट ''क'' को भरें । यदि आप जांच में अपना पक्ष रखने के लिए प्रश्नावली के उत्तर के साथ–साथ अनुरोध करने हेतु किसी व्यक्ति/फर्म/कंपनी को प्राधिकृत कर रहे हैं तो आप प्रपत्र ''ख'' का प्रयोग कर सकते हैं ।

15. कृपया विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथापेक्षित समस्त सूचना को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें । यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत की गई सूचना अधूरी है या विहित प्रपत्र के अनुसार नहीं है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे अस्वीकार किया जा सकता है । जहां निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रश्नावली के किसी उत्तर को नहीं मानने का निर्णय लेते हैं, वहां वह याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना सहित सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रारंभिक और/या अंतिम जांच परिणाम निर्धारित करेंगे ।

16. कृपया सब्सिडीरोधी जांच की प्रक्रिया के दौरान दिए गए उत्तरों/अनुरोधों के गोपनीय अंश की दो प्रतियां और अगोपनीय अंश की पांच प्रतियां प्रस्तुत करें । इसके अलावा, सभी लिखित/स्पष्टीकरण अधिमानतः एम एस वर्ड फाइल में और सभी प्रपत्र/अनुबंध एम एस एक्सेल फार्मेट में वायरस रहित दो सीडी तथा मुद्रित प्रति में उपलब्ध कराएं (आरंभिक उत्तर के समय तथा सुनवाई/प्रत्युत्तर के बाद उत्तर/लिखित अनुरोध के दौरान) ।

17. उत्तर की इलैक्ट्रॉनिक प्रति निम्नलिखित के अनुरूप होनी चाहिए ।

क. एक्सल फाइलें ''पेस्ट स्पेशल'' आधार पर तैयार नहीं की जानी चाहिए और उनमें समस्त फार्मूलाओं तथा लिंकों का प्रदर्शन होना चाहिए ।

ख. समस्त आंकड़े/संख्याएं अंकीय प्रपत्र में और सभी तारीखें तारीख प्रपत्र में होनी चाहिए तारीखें ''तारीख/माह/वर्ष'' प्रपत्र में होनी चाहिए ।

यदि आप ऊपर निर्दिष्ट अपेक्षाओं में से किसी अपेक्षा को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको इस निदेशालय से संपर्क करने की सलाह दी जाती है । इलैक्ट्रॉनिक प्रति के बिना या अधूरे पड़े गए निर्यातक के उत्तर को रद्द किया जा सकता है ।

खंड–1

प्रश्नावली

क. सामान्य

1. कृपया निम्नलिखित सामान्य सूचना अनुबंध के रूप में संलग्न करें ।

(क) अपनी कंपनी के विधिक रूप का वर्णन करें और अपने देश की वह कानूनी संविधि बताएं जिसके अधीन आपकी कंपनी स्थापित/पंजीकृत/अधिनियमित की गई है ।

(ख) यदि आपकी कंपनी की संरचना में कोई बदलाव होता है तो जांच अवधि सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बदलाव के बारे में बताएं ।

(ग) अपनी कंपनी के गठन, पुनर्गठन की तारीखों तथा अपनी कंपनी के स्वामित्व के इतिवृत्त का स्पष्ट उल्लेख करते हुए उसके संघटन का वर्णन करें ।

(घ) एक चार्ट के जरिए अपनी कंपनी के स्वामित्व की संरचना का वर्णन करें । इस चार्ट में प्रत्येक मूल/सहायक कंपनी के स्वामित्व के प्रतिशत हिस्से का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ऐसी प्रत्येक अवधि हेतु पृथक चार्ट दिए जाएं जिसमें स्वामित्व में परिवर्तन हुआ है।

2) आपकी कंपनी के मालिक/प्रमुख शेयरधारक की सूची । बताएं कि क्या उनमें से कोई आपके देश में या भारत समेत किसी अन्य देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और बिक्री में संलग्न किसी अन्य कंपनी से संबंधित है ।

3) अपने मुख्य निगमित कार्यालय और भारत में अपने कार्यालय, यदि कोई हो, का पूरा पता बताएं । उनका दूरभाष, फैक्स सं. और ई–मेल पता बताएं । प्रमुख संपर्क व्यक्ति या पाटनरोधी कार्यवाही के प्रयोजनार्थ भारत में या कहीं और प्रतिनिधि/विधिक प्रतिनिधि को नाम, पता, दूरभाष, फैक्स सं. और ई–मेल पता बताए।

4) शामिल उत्पाद और कंपनी द्वारा उत्पादित किए जा रहे अन्य उत्पादों के उत्पादन में कार्यरत कारखानों का पूरा पता, दूरभाष और फैक्स सं. तथा ई मेल पता सूचीबद्ध करें ।

5.) यदि आप यह नहीं मानते हैं कि आपकी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पाद ''समान वस्तु'' है तो कृपया रेखाचित्र और/अथवा फ्लो चार्टों का इस्तेमाल करते हुए आपकी कंपनी द्वारा उत्पादित उत्पादों का उल्लेख करें । कृपया वह प्रक्रिया बताएं जिसके द्वारा आपकी कंपनी संबंधित वस्तु का उत्पादन करती है ।

6) आपकी सरकार द्वारा आयकर रियायत/छूट, निविष्टियों पर करों की प्रतिपूर्ति/छूट, कच्ची सामग्री, बिजली, पानी आदि जैसी सुविधाओं की सब्सिडीकृत आपूर्ति, वस्तु की आयात हकदारी जो अन्यथा आयात हेतु प्रतिबंधित है जैसे किसी तरीके से निर्यात बिक्रियों पर दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की सूची प्रस्तुत करें ।

7) भारत समेत सभी देशों में आपकी कंपनी से संबद्ध सभी कंपनियों को अभिज्ञात करें । ऐसी प्रत्येक कंपनी का पूरा नाम और डाक का पता, उपलब्ध कराएं । कृपया ऐसी प्रत्येक संबद्ध कंपनी का पूरा पता बताएं कि क्या इनमें से कोई कंपनी संबंधित उत्पाद में शामिल है ।

8.) कृपया आपकी कंपनी और संबद्ध कंपनियों के बीच संबंध की प्रकृति बताएं । कृपया वह स्थिति स्पष्ट करें जिसमें आप कंपनियों से संबद्ध हैं । कृपया यह भी बताएं कि एक कंपनी के अधिकारी दूसरी कंपनी के प्रचालनों का पर्यवेक्षण करने में सीधे तौर पर किस प्रकार शामिल हैं । बताएं कि क्या कोई संबद्ध कंपनी आपकी कंपनी की उत्पादन प्रक्रिया में निविष्टि की आपूर्ति करती है ।

9) संबंधित उत्पाद के लिए अनुसंधान और विकास, उत्पादन, बिक्री, लाइसेंसिंग, तकनीकी और पेटेंट करारों से संबंधित किसी अन्य कंपनी के साथ किसी वित्तीय या संविदाकारी संबंध और संयुक्त उद्यमों के बारे में बताएं ।

10.) कृपया आई टी (एच एस) उप शीर्ष अपने देश की टैरिफ अनुसूची संख्याएं उपलब्ध कराएं जिनके अंतर्गत आप संबद्ध वस्तु का निर्यात करते हैं ।

11.) संबंधित उद्योग के लिए नवीकरणीय वास्तविक परिसंपत्तियों की औसत उपयोगी अवधि (ए यू एल) क्या है ।

12.) प्रपत्र–ग के अनुसार स्थापित/मानक क्षमता, उत्पादन, स्टांप तथा बिक्री के बारे में सूचना प्रदान करें । कृपया स्थापित/मानक क्षमता की गणनाएं उपलब्ध कराएं । किसी वर्ष विशेष में कुल बिक्री मूल्य का मिलान कंपनी के वार्षिक प्रकाशित लेखों से होनी चाहिए । यदि ये मेल नहीं खाते हैं तो कृपया परिवर्तन स्पष्ट करें ।

ख. बिक्री

1) भारत को निर्यातित और घरेलू बाजार में बेचे गए जांच में शामिल उत्पाद के विनिर्देशनों सहित संपूर्ण ब्यौरा दें । कृपया कंपनी द्वारा प्रयोग की जा रही और इस प्रश्नावली के उत्तर में प्रयुक्त उत्पाद कोडिंग प्रणाली, यदि कोई हो, को स्पष्ट करें ।

2) आपकी कंपनी द्वारा जारी कैटेलॉग और ब्राशर का पूरा सेट उपलब्ध कराएं । (अंग्रेजी में या अंग्रेजी अनुवाद के साथ) जिसमें घरेलू और निर्यात बाजार में बेचे गए संबद्ध उत्पाद की सभी किस्में शामिल हों ।

3) घरेलू बाजार में बिक्रियों और भारत को निर्यात के लिए वितरण की श्रृंखला (थोक विक्रेता, वितरक, खुदरा व्यापारी, अंतिम प्रयोक्ता आदि) उपलब्ध कराएं । फ्लो चार्ट और फ्लो रेखाचित्र उपलब्ध कराएं ।

4) बिक्री बातचीत प्रक्रिया उपलब्ध कराएं और आप अपने घरेलू बाजार तथा भारत को निर्यात हेतु वस्तु की बिक्री किस प्रकार करते हैं ।

5) बिक्री संबंधी बातचीत की प्रक्रिया और आपके घरेलू बाजार और भारत को निर्यात में वस्तुओं की बिक्री किस प्रकार की जाती है ।

6) घरेलू बाजार में बिक्रियों और भारत को निर्यात के मामले में सृजित/प्राप्त दस्तावेजों का एक पूरा सेट उपलब्ध कराएं ।

7) घरेलू बाजार में बिक्रियों और भारत को निर्यात की सभी कीमत सूचियों की प्रतियां उपलब्ध कराएं ।

8) कृपया प्रपत्र–ड. में निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार भारत को हुए निर्यातों के मामले में अपनी कंपनी की बिक्री के बारे में पूर्ण सूचना प्रदान करें । यदि आपके लेखांकन रिकॉर्डों में दर्ज वास्तविक मूल्य कारखाना द्वार से इतर आधार पर दर्ज किया गया है तो कृपया कारखाना मूल्य निकालने के लिए किए गए किन्हीं समायोजनों का उल्लेख करें । कृपया सी आई एफ निर्यात कीमत निर्धारित करने के लिए अपेक्षित सभी अभिवृद्धियों के बारे में बताएं ।

9) बताएं कि आपके घरेलू बाजार में बेची गई वस्तु और भारत को निर्यातित वस्तुओं की कैसे तुलना की जाए । यदि आप यह मानते हैं कि ये दोनों समान नहीं हैं । दोनों उत्पादों में सभी अंतर बताएं ।

10.) जहां आपके घरेलू बाजार में बेची गई या उत्पादित वस्तु या भारत से इतर देशों को बेची गई वस्तु भारत को निर्यातित वस्तु से भौतिक/तकनीकी/रासायनिक विशेषताओं में भिन्न है तो खासकर ऐसी किसी भिन्नता की प्रकृति और उत्पादन लागत पर उसके प्रभाव का ब्यौरा और साक्ष्य उपलब्ध कराएं ।

11.) क्या घरेलू और निर्यात बाजारों में बेची गई वस्तु के लिए प्रभारित कीमतें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रतिपूर्ति (अर्थात बिक्री संवर्धन, विज्ञापन, वारंटी आदि) क्षतिपूर्ति या अन्य लाभों के अधीन हैं ?

12.) इकाई क्रय कीमत को प्रभावित करने वाली वस्तु के संबंध में क्रेताओं के साथ अपनी व्यापार व्यवस्थाओं के ब्यौरे और साक्ष्य उपलब्ध कराएं । प्रतिफल में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए –

- करार / संविदाएं / कीमत सूचियां;
- आर्डर देना और बीजक तैयार करना;
- लागू अथवा भविष्यलक्षी छूट, कमीशन तथा रिबेट
- भुगतान की शर्तें
- कोई अन्य मापदंड और यदि हां, तो उसका ब्यौरा

ग. <u>खपत की गई कच्ची सामग्री</u>

(i) कच्ची सामग्री का नाम
(ii) पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से खपत की गई कच्ची सामग्री की मात्रा
(iii) पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से खपत की गई कच्ची सामग्री का मूल्य
(iv) पिछले 5 वर्षों के दौरान निर्यात उत्पाद की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए खपत की गई कच्ची सामग्री की मात्रा और मूल्य
(v) पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से घरेलू स्रोतों से खरीदी गई कच्ची सामग्री की मात्रा और मूल्य
(vi) पिछले 5 वर्षों के दौरान वार्षिक रूप से आयातित कच्ची सामग्री की मात्रा और मूल्य
(vii) उपर्युक्त ब्यौरा रखने वाले विशिष्ट लेखा रिकॉर्डों का उल्लेख करें ।
(viii) क्या कच्ची सामग्री की खपत के स्वतंत्र सत्यापन की प्रणाली मौजूद है । यदि हां, तो प्रणाली को विस्तार से स्पष्ट करें ।

घ. **निवेश**

1. कृपया निम्नांकित तालिका के अनुसार संबद्ध उत्पाद के उत्पादन में निवेशित राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराएं ।

	पिछले वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष	पिछला वित्तीय वर्ष	जांच अवधि	अगले वित्त वर्ष के लिए पूर्वानुमान
भवन				
विनिर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी				
अन्य (निर्दिष्ट करें)				
कुल				

2. कृपया बताएं कि क्या उपर्युक्त निवेश हेतु वित्तपोषण का प्रावधान किसी कार्यक्रम में किया गया है । यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रदान करें :

क. कार्यक्रम का नाम

ख. क्या इसमें आपकी सरकार द्वारा निधियों (अर्थात अनुदान, ऋण तथा इक्विटी प्राप्ति) का प्रत्यक्ष अंतरण शामिल है ।

ग. क्या सरकार ने पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर परिसंपत्तियां स्वयं उपलब्ध कराई हैं ।

घ. क्या सरकार ने वित्त पोषण तंत्र को भुगतान किए हैं या उसने उपर्युक्त (ख) और (ग) में सूचीबद्ध एक या अधिक प्रकार के कार्य करने के लिए किसी निजी निकाय को जिम्मेवारी सौंपी है या उसे निर्देश दिया है ।

ड. कृपया संगत अनुबंध में कार्यक्रम के बारे में सूचना प्रदान करें ।

च. सभी आपूर्तिकर्ताओं (घरेलू तथा विदेशी) की सूची जिनसे आपने परिसंपत्ति खरीदी है । स्पष्ट करें कि क्या इनमें से कोई आपूर्तिकर्ता सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में है ।

छ. स्पष्ट करें कि आपकी कंपनी और आपके प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के बीच वस्तु और/अथवा सेवा की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ।

ज. कृपया खरीद की कुल राशि, भुगतान की तारीख, खरीदी गई परिसंपत्ति, डिलीवरी की शर्तें तथा प्रति इकाई कीमत का ब्यौरा दें । आपूर्तिकर्ता के अनुसार अलग सूची बनाएं ।

झ. क्या ऐसे व्यापार प्रकाशन या कोई प्रकाशित सूचना है जिसमें आपके देश के भीतर और विश्व बाजार में परिसंपत्तियों की कीमत निर्दिष्ट की गई है ? इन प्रकाशनों के संगत उद्धरण उपलब्ध कराएं ।

ड. लेखांकन प्रणाली और नीतियां

1. आपकी सामान्य निगमित वित्तीय लेखांकन अवधि क्या है ?

2. आपकी कंपनी और ऐसी कंपनियों जो आपसे संबंधित हैं और संबंधित उत्पाद के विपणन या बिक्री में शामिल हैं, के लिए जांच अवधि को शामिल करते हुए वित्त वर्ष सहित पिछले तीन सबसे हाल के वर्षों के लिए तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखों सहित लेखा परीक्षित लेखों और सभी रिपोर्टों, टिप्पणों, पाद टिप्पणियों और इन दस्तावेजों पर लेखा परीक्षक की राय का अंग्रेजी रूपांतरण प्रस्तुत करें ।

3. उस स्थान का पूरा पता, दूरभाष, फैक्स सं., ई मेल पता, संबंधित व्यक्ति का नाम व पदनाम बताएं जहां आप कंपनी के लेखांकन रिकार्ड रखती है ।

4. अपनी वित्तीय लेखांकन प्रणाली का विस्तार से वर्णन करें । बताएं कि क्या आपकी लेखांकन प्रक्रियाएं आपके देश में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जी ए ए पी) के अनुरूप है । कृपया जांचाधीन ऐसे प्रत्येक कार्यक्रम का उल्लेख करें जहां उक्त कार्यक्रम से प्राप्त लाभ आपकी लेखा बहियों से देखा जा सके ।

5. यदि आपकी कंपनी में प्रयुक्त लेखाकार पद्धतियों में पिछले तीन वित्त वर्ष में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे विस्तार से स्पष्ट करें ।

खंड–II

कार्यक्रम विशिष्ट प्रश्न

याचिकाकर्ता के कथनानुसार इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम का संक्षिप्त स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है । कृपया निम्नलिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अलग सूचना प्रदान करें । यदि कोई कार्यक्रम वर्तमान जांच अवधि से पूर्व वापस ले लिया गया है तो कृपया ऐसा उल्लेख करें और कार्यक्रम का विस्तृत स्पष्टीकरण एवं उक्त कार्यक्रम के बारे में रखे गए रिकॉर्ड का विस्तृत विवरण दें । यदि कोई कार्यक्रम वर्तमान जांच अवधि के दौरान या उसके बाद वापस लिया गया है, तो भी आपको प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ।

1. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए यदि आपकी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान उक्त कार्यक्रम को लागू नहीं किया या उसका उपयोग नहीं किया है या उसका लाभ नहीं उठाया है तो आपको इस बात का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए । अन्यथा कृपया सूचीबद्ध प्रश्नों का उत्तर दें । प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत सूचित की जाने वाली सूचना के निर्धारण हेतु कृपया प्रश्नावली के इस खंड और उल्लिखित परिशिष्ठों में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अनुदेश देंखें ।

2. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए यदि उनमें से कुछ को आवेदक ने सूचीबद्ध नहीं भी किया है तो आपको प्रश्नों का पूर्ण उत्तर देना चाहिए भले ही आप या आपकी सरकार यह मानती हो कि उक्त कार्यक्रम प्रतिसंतुलनकारी प्रभाव नहीं रखता है ।

3. यदि ऐसी कंपनियों द्वारा कार्यक्रम (मों) के अंतर्गत कोई सहायता प्राप्त की गई है जिन्हें अब आमेलित कर दिया गया है अथवा आपकी कंपनी में मिला दिया गया है तो आप आमेलित या खरीदी गई कंपनी को ऐसी सहायता के संबंध में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जिम्मेवार हैं ।

4. पूर्ण उत्तर के अभाव में कोई निर्णय उपलब्ध तथ्यों के आधार पर लिया जाएगा ।

5. प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कृपया सभी प्रश्नों का उत्तर संबंधित कार्यक्रम के बारे में लागू होने वाले मानक प्रश्न संबंधी अनुबंध और इस प्रश्नावली में दिए गए अन्य सभी परिशिष्टों में दिए जाने चाहिए ।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए इस जांच के दौरान पता चले ऐसे किसी कार्यक्रम की जांच करना भी अपेक्षित है जिसके अंतर्गत संबद्ध वस्तु के विनिर्माण, उत्पादन या निर्यात पर प्रतिसंतुलनकारी सब्सिडी प्राप्त होती हो । अतः आपके लिए प्रत्येक कार्यक्रम को अभिज्ञात

करना अपेक्षित है भले ही आपने उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त किया हो अथवा नहीं ।

7. प्रश्नों का उत्तर तब भी देना जरूरी है यदि आपकी सरकार ने एक या अधिक कार्यक्रम चलाने के लिए किसी निजी निकाय को कार्य सौंपा हो या निर्देशित किया हो ।

8. यदि नीचे उल्लिखित कोई सरकारी सहायता आपकी कंपनी या ऐसी किसी कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसे अब आमेलित या आपकी कंपनी द्वारा खरीद लिया गया है तो आप आमेलित या खरीदी गई कंपनी को ऐसी सहायता के बारे में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए जिम्मेवार हैं ।

इस जांच में शामिल स्कीमों की सूची

(कृपया इस जांच में शामिल समस्त सब्सिडी स्कीमों का संक्षिप्त विवरण दें)

खंड– III

मानक प्रश्नों संबंधी अनुबंध

कृपया आवेदक द्वारा अभिज्ञात प्रत्येक कार्यक्रम और आपको ज्ञात प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें ।

1. कार्यक्रम चलाने के लिए जिम्मेवार एजेंसी का नाम और पता (अर्थात संघीय, प्रांतीय या अन्य सरकारी एजेंसी या कोई अन्य संस्थान) ।
2. इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता और लाभ प्राप्त और लाभ प्राप्ति को शासित करने वाले मानदंडों का ब्यौरा दें और लागू कानून तथा आपकी सरकार के विनियमन की एक प्रति भी उपलब्ध कराएं ।
3. कृपया कार्यक्रम द्वारा समर्थित कार्यकलापों को अभिज्ञात करें । संगत दस्तावेज की प्रति उपलब्ध कराएं ।
4. पात्रता के वे मानदंड निर्दिष्ट करें जिन्हें आपकी कंपनी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पूरा करना था । क्या इस कार्यक्रम के लिए पात्रता या उसका वास्तविक उपयोग अकेले या कई अन्य शर्तों में से एक शर्त के रूप में निम्नलिखित के लिए प्रासंगिक है :–
   - क. निर्यात निष्पादन;
   - ख. आयातित वस्तु की तुलना में घरेलू उपयोग
   - ग. निर्दिष्ट क्षेत्रों के भीतर स्थित
   - घ. किसी कंपनी या कंपनी समूह या किसी उद्योग या उद्योग समूह के लिए विशिष्ट
   - ड. कोई अन्य मानदंड । यदि हां, तो कृपया विस्तार से निर्दिष्ट करें

5. कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता की मात्रा हेतु मानदंड क्या हैं ? वह मानदंड निर्दिष्ट करें जिसे प्रदत्त सहायता की विशेष राशि प्राप्त करने के लिए पूरा करना होता है ।
6. इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक लाभ के बारे में आपकी कंपनी क्या रिकॉर्ड रखती है ? इस कार्यक्रम के बारे में आपकी कंपनी द्वारा निष्पादित आवेदन प्रपत्र और अन्य आवेदन दस्तावेजों को उपलब्ध कराएं ।
7. क्या अनुमोदन दस्तावेजों (अर्थात ऋण संविदा, अनुदान प्राधिकार) में वित्तपोषण द्वारा समर्थित कार्यकलाप विशिष्ट था तो कृपया कार्यकलाप को अभिज्ञात करें और समर्थकारी दस्तावेज उपलब्ध कराएं ।
8. क्या कार्यक्रम में आवर्ती लाभ या एकबारगी लाभ का प्रावधान है ।
9. आपकी कंपनी इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी अवधि के लिए लाभ प्राप्त कर सकती है ।
10. क्या कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कृपया स्पष्ट करें । इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कंपनी द्वारा लाभ प्राप्त करने की अंतिम तारीख क्या है ।
11. आपकी वित्तीय लेखा बहियों में इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभों को प्रदत्त लेखा व्यवहार का उल्लेख करें (लेजर या पत्रिकाएं तथा वित्तीय विवरण निर्दिष्ट करें) ।

औसत उपयोगी अवधि संबंधी अनुबंध

कृपया निम्नलिखित का ब्यौरा दें :

क. उत्पादक परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के बारे में अपनी कंपनी की लेखा नीतियों को स्पष्ट करें।

ख. बताएं कि क्या सरल या सवंर्धित मूल्यह्रास का प्रयोग किया जाता है और क्या नियम लागू होते हैं ।

ग. वर्तमान प्रयोजनार्थ आपके द्वारा संगत मानी गई परिसंपत्तियों की औसत उपयोगी अवधि क्या है और अपने दावे के समर्थन में औचित्य दें । कृपया इस संबंध में अपने दावे की पुष्टि करें ।

आबंटन संबंधी अनुबंध

1. कृपया बताएं कि क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त लाभ आवर्ती हैं या अनावर्ती ।

2. क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी कंपनी वर्ष दर वर्ष सतत आधार पर लाभ प्राप्त करती है अथवा क्या यह कार्यक्रम इस संदर्भ में आपवादिक है कि इसमें एकबारगी सहायता का प्रावधान है ?

3. क्या आप इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राप्त लाभ के लिए प्रत्येक बार अलग से आवेदन दायर करते हैं ।

4. क्या प्राप्त प्रत्येक लाभ के लिए स्पष्ट सरकारी प्राधिकारी या अनुमोदन अपेक्षित रहा है ? कृपया स्पष्ट करें ।

5. क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी आपकी कंपनी की पूंजी संरचना या पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए प्रदान की गई है या उसे संबंधित है ।

6. कृपया निम्नलिखित सूचना चार्ट के रूप में दें । यदि अनुदान कार्यक्रम राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, और/अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है तो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और/अथवा स्थानीय स्रोतों के लिए नियत प्रत्येक अनुदान के भाग का ब्यौरा दें । अनावर्ती अनुदानों के लिए कृपया यह सूचना उन अनुदानों के लिए प्रदान करें जिन्हें आपकी कंपनी ने जांच अवधि के दौरान और औसत उपयोगी अवधि के प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किया है । आवर्ती अनुदानों के लिए यह सूचना जांच अवधि में प्राप्त अनुदानों के बारे में ही प्रदान करें ।

    1. सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुदान की राशि ।
    2. आपकी कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि । कृपया बताएं कि क्या यह अनुदान एकमुश्त या कई किश्तों में प्राप्त किया गया था ।
    3. सरकारी अनुमोदन की तारीख।
    4. आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त अनुदान की तारीखें ।

ऋण बेंचमार्क और ऋण गारंटी से संबंधित अनुबंध

निम्नलिखित सूचना संदर्भाधीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त ऋणों के लिए दी जानी चाहिए । **अल्पावधिक ऋण** (एक वर्ष या उससे कम) अथवा अल्पावधिक ऋणों पर गारंटी या बीमा के लिए सूचना ऐसे सभी ऋणों के लिए प्रदान की जानी चाहिए जिन पर जांच अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान किया गया था, वह उद्भूत हुआ था और/अथवा उसे माफ किया गया था । कृपया बताएं कि क्या कोई अल्पावधिक ऋण कार्यक्रम क्रेडिट लाइन था । **दीर्घावधिक ऋणों** (एक वर्ष से अधिक) अथवा दीर्घावधिक ऋणों और गारंटियों के लिए सूचना जांच अवधि के दौरान मूलधन अथवा बकाया ब्याज के साथ सभी ऋणों के बारे में अथवा माफ किए गए या अशोध्य किए गए ऐसे किसी ऋण के लिए प्रदान की जानी चाहिए । यह सूचना प्रत्येक अल्पावधिक ऋण और प्रत्येक दीर्घावधिक ऋण के लिए अलग से चार्ट रूप में प्रदान की जानी चाहिए ।

ऋण के बारे में अपेक्षित सूचना

क. ऋण के बारे में सूचनाः

(i) ऋण नियंत्रण संख्या;
(ii) ऋण का स्रोत;
(iii) कार्यक्रम जिसके अंतर्गत ऋण प्रदान किया गया है ;
(iv) ऋण की मूल राशि और कोई अपेक्षित सम्पार्श्विक ;
(v) ऋण करार की तारीख
(vi) ऋण प्राप्ति की तारीख ;
(vii) ऋण की अवधि ;
(viii) ऋण की प्रभावी ब्याज दर (स्पष्ट करें कि यह निर्धारित है या परिवर्तनीय) ;
(ix) पुनर्भुगतान अनुसूची (मूलधन तथा ब्याज) और छूट अवधि, भुगतान माफी, पुनः छूट के अवसर, रोल ओवर या ऋण समापन, परवर्ती घटनाओं पर निर्भर पुनर्भुगतान का विवरण; यह भी बताएं कि यदि पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं किया गया है तो पुनर्भुगतान की वास्तविक अनुसूची का ब्यौरा दें ।

ख. यदि कार्यक्रम में आरंभिक अनिश्चित पुनर्भुगतान अनुसूची के साथ अल्पावधिक ऋणों या दीर्घावधिक ऋणों का प्रावधान है तो कृपया वास्तविक पुनर्भुगतान अनुसूची (मूलधन तथा ब्याज) का ब्यौरा दें;

ग. ब्याज के अतिरिक्त भुगतान की गई ऐसी किसी फीस, कमीशन, क्षतिपूर्तिकारी शेष राशि, करों या जुर्मानों की राशि जिसका ऋण लागत पर प्रभाव पड़ता है (बताएं कि क्या उसका भुगतान किया गया है या उसका प्रावधान किया गया है); बताएं कि इस कॉलम में किस प्रकार के प्रभार शामिल किए गए थे ।

घ. मुद्रास्फीति का हिसाब रखने के लिए ऋण शेष राशि या ब्याज भुगतानों में किया गया कोई समायोजन ।

ड. यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त मूलधन या किसी ऋण पर ब्याज जांच अवधि के दौरान अथवा कंपनी के एयूएल की तद्नुरूपी अवधि में माफ किया गया या अशोध्य किया गया था तो कृपया प्रत्येक माफी या अशोध्यता की तारीख एवं राशि का ब्यौरा दें ।

च. कृपया पिछले पांच वर्षों में लिए गए सभी ऋणों का ब्यौरा दें जिनमें ऋण की राशि, पुनर्भुगतान अनुसूची, प्रभारित ब्याज दर एवं ऋण की अन्य निबंधन एवं शर्तें शामिल हों ।

दीर्घावधिक बैंचमार्क

यदि ऊपर अभिज्ञात कोई ऋण दीर्घावधिक ऋण है, तो कृपया उपर्युक्त सूचना संदर्भाधीन ऋणों के लिए साथ–साथ लिए गए तथा तुलनीय किसी अन्य दीर्घावधिक वाणिज्य ऋण के लिए प्रदान करें । इस सूचना का प्रयोग बैंचमार्क ब्याज दर के प्रयोजनार्थ किया जा सकता है । कृपया नोट करें कि बैंचमार्क ऋणों को उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित किया जाना चाहिए जो उपर्युक्त ऋण के अनुरूप हो ।

अल्पावधिक बैंचमार्क

यदि ऊपर अभिज्ञात कोई ऋण अल्पावधिक ऋण है, तो कृपया उपर्युक्त सूचना संदर्भाधीन ऋणों के लिए जांच अवधि के दौरान लिए गए तथा तुलनीय किसी अन्य अल्पावधिक वाणिज्य ऋण के लिए प्रदान करें । कृपया प्रत्येक ऋण के मूलधन द्वारा करों की गणना कर इन अल्पावधिक वाणिज्यिक ऋणों के लिए अपनी कंपनी विशिष्ट ब्याज दर का ब्यौरा दें । कृपया यह दर्शाते हुए गणना कार्यशीटें प्रदान करें कि आपकी कंपनी ने किस प्रकार भारित औसत दर प्राप्त की है ।

यदि आपको जांच अवधि से पूर्व अल्पावधिक ब्याज ऋण प्रदान किया गया था जहां ब्याज का भुगतान जांच अवधि के दौरान किया गया था तो ऐसे प्रत्येक वर्ष के लिए उपर्युक्त सूचना प्रदान की जानी चाहिए जिस वर्ष के दौरान ऋण प्राप्त किया गया था ।

ऋण गारंटी

कृपया इस कार्यक्रम के अंतर्गत गारंटीशुदा या बीमित ऋणों के लिए उपर्युक्त सूचना प्रदान करें । यदि गारंटीशुदा ऋण दीर्घावधिक ऋण है, तो कृपया ''दीर्घावधिक बैंचमार्क'' खंड में अनुरोधित बैंचमार्क सूचना और निम्नलिखित सूचना प्रदान करें :–

(i) ऋण गारंटी का स्रोत और वह कार्यक्रम जिसके अंतर्गत इसे प्रदान किया गया है;
(ii) भुगतान की गई किसी फीस सहित गारंटी की शर्तें
(iii) ऋण की शर्तों (अर्थात ब्याज दर, अवधि, संपार्श्विक) पर गारंटी का प्रभाव । उदाहरणार्थ यदि गारंटी के बिना उसी वर्ष में समान वाणिज्यिक ऋण थे, तो कृपया उन ऋणों की शर्तों का ब्यौरा दें ।
(iv) सरकारी स्वामित्व के मामले में इस आशय का साक्ष्य प्रदान करें कि यह समान ऋण गारंटियां प्रदान करने के लिए संदर्भाधीन देश में शेयरधारकों के लिए सामान्य वाणिज्यिक परंपरा है ।
(v) गारंटी रहित ऋण पर लागू ब्याज दर ।

कर कार्यक्रम संबंधी अनुबंध

(यह अनुबंध प्रत्येक कर कार्यक्रम के लिए अलग–अलग भरा जाना चाहिए)

यदि आपकी कंपनी इस कार्यक्रम का उपयोग कर योग्य आय से कटौतियां प्राप्त करने, संदेय करों के लिए ऋण प्राप्त करने, लिए गए ऋण से छूट प्राप्त करने, करों के भुगतान को आस्थगित करने, हानि को आगे ले जाने, सवंर्धित मूल्यह्रास का प्रयोग करने अथवा जांच अवधि से संगत अवधि के किसी भाग के लिए दायर आयकर विवरणी पर अन्य कर लाभों का प्रयोग करने के लिए करती है तो कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें ।

(क) कृपया जांच अवधि के किसी भाग से संगत अवधि के लिए आपकी कंपनी द्वारा दायर आय कर विवरणी की एक प्रति उपलब्ध कराएं । बताएं कि कर विवरणी में सहायता का उल्लेख कहां किया गया है ।

(ख) स्पष्ट करें कि क्या रियायत कर योग्य आय से छूट, करों से छूट के रूप में, संदेय करों के लिए ऋण, सवंर्धित मूल्यह्रास, करों के आस्थगन, अग्रणीत ऋण अथवा अन्य कर लाभ के रूप में है । यदि यह अन्य कर लाभ के रूप में है तो कृपया कर लाभ का स्वरूप निर्दिष्ट करें ।

(ग) कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या कर रियायत अचल परिसंपत्तियों या पूंजीगत माल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अर्जन से संबंधित है ।

(घ) आपकी कंपनी द्वारा वास्तव में प्रदत्त करों और कार्यक्रम के अभाव में आपके द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की तुलना करते हुए इस कार्यक्रम के प्रयोग से प्राप्त कर बचत की राशि का उल्लेख करें । सहायता तथा सभी स्रोत सामग्री की विस्तृत गणना उपलब्ध कराएं । कर की वह राशि प्रदर्शित करें जो इस कार्यक्रम के अभाव में बकाया रही होती । लाभ या हानि की वह राशि बताएं जिसे आपकी कंपनी ने इस कार्यक्रम के अभाव में वहन किया होता। कर आस्थगन के लिए कृपया दिए गए कर की राशि और आस्थगन अवधि का उल्लेख करें।

(ड.) यदि आपकी कंपनी उस कर वर्ष के लिए कर घाटे की स्थिति में थी जिस वर्ष के लिए विवरणी लागू होती है तो कृपया आपकी कंपनी की कर स्थिति पर इस सहायता का प्रभाव स्पष्ट करें।

(च) क्या आप किसी घाटे को आगामी वर्षों में ले जाएंगे ? क्या घाटे में पूर्ववर्ती वर्षों से उद्‌भूत घाटों का प्रदर्शन होता है ? कृपया स्पष्ट करें ।

(छ) बताएं कि आपकी कंपनी के वित्तीय विवरणों में कर संबंधी सूचना कहां प्राप्त की जा सकती है । कृपया स्पष्ट करें कि क्या उद्‌भूत कर हानि वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों के रूप में ले जाई जाती है ।

(ज) यदि आप पूर्ववर्ती वर्षों के किसी घाटे को आगे ले जाते हैं और उस घाटे का उपयोग जांच अवधि के दौरान दायर कर विवरणी पर बकाया करों के समायोजन के लिए करते हैं तो यह प्रदर्शित करें कि वह घाटा किसी प्रतिसंतुलनकारी कर कार्यक्रम के प्रयोग से उत्पन्न नहीं हुआ था ।

(झ) एक वर्ष या उससे कम के कर आस्थगन को अल्पावधिक ऋण माना जाएगा और एक वर्ष से अधिक के कर आस्थगन को दीर्घावधिक ऋण माना जाएगा । अतः यदि कार्यक्रम में करों का आस्थगन शामिल है तो कृपया तुलनीय ब्याज दर की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित सूचना प्रदान करना जरूरी है :

(ट) कृपया आस्थगन अवधि का ब्यौरा दें ।

(ठ) कृपया बताएं कि क्या आपकी कंपनी ने आस्थगित राशि पर किसी ब्याज का भुगतान किया है। यदि हां, तो भुगतान किए गए ब्याज की राशि, ब्याज दर और उस तारीख का ब्यौरा दें जिस तारीख को ब्याज का भुगतान किया गया था ।

(ड) यदि कर आस्थगन की अवधि एक वर्ष या उससे कम है तो कृपया आपकी कंपनी द्वारा प्राप्त किए गए सभी वाणिज्यिक अल्पावधिक ऋणों के लिए ऋण संबंधी अनुबंध में उल्लिखित संगत प्रश्नों का उत्तर दें । केवल उन्हीं अल्पावधिक ऋणों को शामिल करें जो जांच अवधि में बकाया थे ।

(ढ) यदि कर आस्थगन की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो कृपया आपकी कंपनी द्वारा लिए गए उन सभी वाणिज्यिक दीर्घावधिक ऋणों हेतु ऋण संबंधी अनुबंध में उल्लिखित संगत प्रश्नों का उत्तर दें जो जांच अवधि में बकाया थे । केवल दीर्घावधिक ऋण ही शामिल करें जिनकी इस शर्त का निर्धारण उसी वर्ष में किया गया था कि सर्वप्रथम बहु वर्षीय कर का आस्थगन अनुमोदित किया गया है । यदि आपने यह सूचना इस प्रश्नावली के दूसरे भाग में प्रदान कर दी है तो कृपया इसका उल्लेख करें ।

(ण) यदि कर रियायत निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में खपत की गई निविष्टि के बारे में है तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें;

(i) जांच अवधि के दौरान निर्यातित उत्पाद के उत्पादन का कुल मूल्य और उसकी मात्रा

(ii) निर्यातित उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में खपत की गई प्रत्येक निविष्टि की कुल मात्रा और मूल्य

(iii) निर्यातित उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया में खपत की गई प्रत्येक निविष्टि पर कर रियायत की दर और मूल्य

(iv) खपत की गई ऐसी निविष्टि का मूल्य जिसके लिए कर रियायत का दावा किया गया है ।

इक्विटी अनुबंध

यदि आपकी सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निकाय ने आपकी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इक्विटी निवेश किया है तो कृपया निम्नलिखित सूचना प्रदान करें ।

<u>सामान्य सूचना</u>

कृपया आपकी कंपनी में प्रत्येक सरकारी इक्विटी के निवेश हेतु यह सूचना प्रदान करेंः

क. सरकारी निवेश की राशि अर्थात पूंजी प्राप्ति की राशि

ख. इक्विटी निवेश की तारीख

ग. सरकार द्वारा प्राप्त शेयरों की संख्या और शेयरों का विवरण (अर्थात सामान्य स्टॉक, अधिमानी स्टॉक) जिसमें खासकर लाभांशों, मताधिकारों से संबंधित किसी प्रतिबंध अथवा विशेष शर्तों, बिक्री पर प्रतिबंध और परिसमापन अधिकारों का स्पष्टीकरण शामिल है ।

घ. शेयरों के लिए सरकार द्वारा भुगतान की गई प्रति शेयर कीमत; और

ड. इक्विटी निवेश के वर्ष में लिए गए दीर्घावधिक ऋण की उद्यम लागत और इस आशय का स्पष्टीकरण कि इस दर की गणना कैसे की गई थी । बताएं कि क्या इस गणना में समीक्षाधीन किसी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त ऋण शामिल हैं । यदि हां, तो गणना में प्रयुक्त ऋणों के सभी ब्यौरों की सूची प्रस्तुत करें ।

च. खासकर लाभाशों, मताधिकारों से संबंधित किसी प्रतिबंध या विशेष शर्तों, बिक्री पर प्रतिबंध और परिसमापन अधिकारों के स्पष्टीकरण सहित इन शेयरों (अर्थात सामान्य स्टॉक, अधिमानी स्टॉक) का विवरण ।

छ. इस आशय का विस्तृत स्पष्टीकरण कि निजी निवेशकों द्वारा खरीदे गए शेयरों द्वारा प्रदत्त अधिकार और अधिमान सरकार द्वारा धारित शेयरों के अधिकारों और अधिमानों से भिन्न क्यों हैं और इन अंतरों का स्टॉक के मूल्य पर अत्यधिक प्रभाव कैसे पड़ता है; और

ज. शेयरों की बिक्री प्रक्रिया में सुविधा प्रदाता या वार्ताकार के रूप में सरकार या सरकार द्वारा नियंत्रित या स्वामित्वाधीन कंपनियों द्वारा अदा की गई भूमिका सहित इन निजी इक्विटी खरीदों के पीछे विद्यमान परिस्थितियों (अर्थात कोई स्पष्ट या अस्पष्ट करार)

का विवरण दें । करारों, आदान–प्रदान किए गए पत्र व्यवहार अथवा इन खरीदों से संबंधित अन्य सूचना भी प्रदान की जानी चाहिए ।

झ. आपकी कंपनी द्वारा प्रयुक्त ऐसा कोई लेखा सिद्धांत जो आपकी कंपनी में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से हटकर है ।

ट. आपके देश में ऐसा कोई लेखा सिद्धांत जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नहीं हो सकता है ।

ठ. प्रमुख और/अथवा असामान्य लाभ और/अथवा हानि ।

ड. लेखा सिद्धांतों में परिवर्तन या उसे लागू किए जाने के कारण आपकी कंपनी द्वारा किए गए समायोजन ।

ढ. ऐसी कोई मद जिसका उल्लेख निवल आय की गणना के भाग के रूप में नहीं किया गया था परंतु निवल आय के नीचे उल्लिखित आय विवरण अथवा इक्विटी खंड के भाग के रूप में तुलनपत्र में प्रदर्शित किया गया था ।

वस्तु/सेवाओं के प्रावधान संबंधी अनुबंध

कृपया ऐसी प्रत्येक वस्तु/सेवा के बारे में निम्नलिखित सूचना प्रदान करें जिसे कथित तौर पर पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर प्रदान किया गया है :

(क) सरकार द्वारा प्रदत्त वस्तुओं/सेवाओं और उस प्रक्रिया का सामान्य विवरण प्रस्तुत करें जिसके जरिए वस्तुएं/सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं ।

(ख) ऐसे सभी आपूर्तिकर्ताओं (घरेलू तथा विदेशी) की सूची जिनसे आपने जांच अवधि के दौरान संदर्भाधीन वस्तुओं/सेवाओं की खरीद की है, निर्दिष्ट करें कि क्या इनमें से कोई आपूर्तिकर्ता आपके देश (अथवा संबंधित प्रांत) की सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित है ।

(ग) स्पष्ट करें कि आपकी कंपनी और आपके प्रत्येक आपूर्तिकर्ता के बीच वस्तुओं/सेवाओं की कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ।

(घ) जांच अवधि के दौरान आपके द्वारा की गई वस्तुओं/सेवाओं की समस्त खरीदों की सूची उपलब्ध कराएं । इस सूची में ऐसी सभी खरीदें शामिल होनी चाहिए जिनमें खरीद हेतु भुगतान जांच अवधि के दौरान किया गया था या उस समय देय था । खरीद की मात्रा, खरीद की कुल राशि, भुगतान की तारीख, खरीदे गए उत्पाद की विशेषताओं, डिलीवरी की शर्तों और प्रति इकाई कीमत (इकाई अर्थात टन आदि निर्दिष्ट करें) निर्दिष्ट करें । आपूर्तिकर्ता के अनुसार सूची अलग–अलग तैयार करें ।

(ड.) क्या ऐसे कोई व्यापार प्रकाशन हैं, जिनमें आपके देश के भीतर और विश्व बाजार में वस्तुओं/सेवाओं की कीमत निर्दिष्ट हो ? जांच अवधि के दौरान आपके देश के भीतर और विश्व बाजारों में वस्तुओं/सेवाओं की कीमत सूचीबद्ध करने वाले इन प्रकाशनों से नमूना पृष्ठों के साथ इन प्रकाशनों की सूची उपलब्ध कराएं ।

<u>प्रपत्र–क</u>

<u>प्रमाण–पत्र</u>

विधिवत जांच पड़ताल करने के पश्चात, मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि यह जानकारी कंपनी के पास उपलब्ध और सामान्यतः रखे गए रिकॉर्ड के आधार पर मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूरी और सही हैं और कोई भी वास्तविकता छिपाई या गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई है । मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि यदि कोई आंकडा/सूचना/दावा, कंपनी द्वारा रखे गए रिकॉर्डों के विपरीत पाया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास संपूर्ण सूचना को अस्वीकार करने और उचित आकलन करने का विवेकाधिकार होगा ।

दिनांक ——————————————

————————————————
(हस्ताक्षर)

——————————————————
(नाम/पदनाम)

टिप्पणीः

(1) इस पृष्ठ को पूरा किया जाए और आपके अनुरोध के आरंभ में संलग्न किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रमाण पत्र पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी/निदेशक/भागीदार या फर्म के प्रोप्राइटर/इस प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने वाली कंपनी/फर्म के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।

प्रपत्र ''ख''

प्राधिकार–पत्र

हम एतदद्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जा रही/सब्सिडीरोधी तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क संबंधी जांच में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कंपनी को नियुक्त करते हैं ।

(आपका प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति/फर्म का नाम, पता, दूरभाष, फैक्स सं. तथा ई–मेल पता)

मै0 ——————————————(नाम)————————————— अन्य के साथ निम्नलिखित के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

1 निर्दिष्ट प्राधिकारी से पत्र प्राप्त करना ।
2 हमारी ओर से अनुरोध करना ।
3 हमारे लिए और हमारी ओर से उपस्थित होना

(कृपया प्राधिकृत नहीं किए जाने वाले कार्यकलाप को काट दें)

दिनांक ————————————— ———————————————

(हस्ताक्षर)

————————————————

(नाम/पदनाम)

टिप्पणीः (1) इस पृष्ठ को पूरा किया जाए और आपके अनुरोध के आरंभ में संलग्न किया जाना चाहिए।

(2) इस प्रमाण पत्र पर कंपनी के मुख्य कार्यकारी/निदेशक/भागीदार या फर्म के प्रोप्राइटर/इस प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करने वाली कंपनी/फर्म के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए ।

प्रपत्र–ग

स्थापित / मानक क्षमता, उत्पादन और बिक्री दर्शाने वाला विवरण

यह विवरण विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में उत्पादित और प्रयुक्त सभी निविष्टियों और ऐसे सभी उत्पादों जिनमें विचाराधीन उत्पाद का कंपनी द्वारा किसी निविष्टि के रूप में उपभोग किया गया है, दिया जाना है । जांच अवधि और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए पृथक विवरण तैयार किया जाना है ।

1. उत्पाद का नाम
2. इकाई
3. क्षमता
    - मानक / स्थापित
4. आरंभिक स्टॉक
5. उत्पादन की मात्रा
6. उत्पादन का मूल्य
7. बिक्री मात्रा
    - घरेलू बाजार
    - भारत को निर्यात
    - अन्य देशों को निर्यात
    - आबद्ध अंतरण
8. बिक्री मूल्य
    - बिक्री मूल्य
    - घरेलू बाजार
    - भारत को निर्यात
    - अन्य देशों को निर्यात
    - आबद्ध अंतरण
9. अंतिम स्टॉक

टिप्पणीःमुद्रा बताएं और उपर्युक्त गणनाओं में लागू अमरीकी डॉलर की विनिमय दर बताएं ।

प्रपत्र –घ

प्रचालन संबंधी आंकड़े

यह विवरण जांच अवधि (पी ओ आई) तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के लिए दिया जाना है ।

कृपया इकाई निर्दिष्ट करें		
	मात्रा	मूल्य
कंपनी का कुल कारोबार (समस्त उत्पाद–सभी बिक्रियां)>>		
घरेलू बाजार>>		
भारत>>		
अन्य देश>>		
संबंधित उत्पाद सहित वस्तु क्षेत्र का कारोबार>>		
घरेलू बाजार>>		
भारत>>		
अन्य देश>>		
संबंधित उत्पाद का कुल कारोबार>>		
घरेलू बाजार>>		
भारत>>		
अन्य देश>>		

प्रपत्र–ड.

भारत को हुए निर्यातों से संबंधित सूचना

कृपया निम्नलिखित कालमों वाली तालिका में जांच अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के भारत को हुए आपके निर्यातों का सौदे–वार ब्यौरा प्रस्तुत करें ।

1. क्रम सं.
2. आपके उत्पाद का कोड
3. बीजक सं.
4. तारीख
5. ग्राहक का नाम
6. क्या संबद्ध/संबंधित है
7. संबद्धता/संबंध का ब्यौरा
8. मात्रा
9. इकाई
10. बीजक का सकल मूल्य**
11. छूट
12. बीजक का निवल मूल्य
13. भुगतान की शर्त
14. कमीशन, रिबेट, भाड़े, अंतरदेशीय परिवहन, विदेशी परिवहन, ऋण, अन्य के लिए समायोजन (इन शीर्षों के अंतर्गत मूल्य का अलग से उल्लेख करें)

****बताएं कि क्या एक ओबी, सी एंड एफ, सी आई एफ अथवा जैसा मामला हो ।**